

## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस  
राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 24 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांट

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1. कमलादेवी पत्नी सकाराम 2. कान्तिलाल पुत्र सकाराम 3. बाबुलाल पुत्र सकाराम 4. गणपत पुत्र सदराराम 5. ढमीदेवी पत्नी सदराराम 6. फौजाराम पुत्र सदराराम 7. मेहन पुत्र सदराराम 8. वसना पुत्र सदराराम 9. सुजा पुत्र सदराराम जातियान मेघवाल निवासीगण वावनगर पादरू तहसील सिवाना जिला वाड़मेर	1. मांगा पुत्र नरसा 2. चौथीया पुत्र साकरीया जाति मेघवाल निवासी वावनगर तहसील सिवाना जिला बाड़मेर 3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना।
--	--

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955  
विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या  
101/2019 बअनवान चौथीया बनाम कमला वगै. में पारित आदेश  
दिनांक 26.02.2021 के विरुद्ध पेश हुई।


उपस्थित

1. वकील श्री कैलाश पुरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री राणाराम गौड़ रेस्पोडेण्ट की ओर से।

**निर्णय**

दिनांक:—30.09.2022


अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदातागण संख्या 02 ने  
अधीनस्थ अदालत में एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान  
काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि ग्राम वावनगर में  
स्थित खेत खसरा संख्या 1726 के खातेदार हैं ने खेत तक जाने के लिये खसरा  
नम्बर 1932/1724 में से होकर रास्ता प्रदान करने हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय  
के समक्ष पेश किया। प्रस्तुत आवेदन में वर्णित खसरे के अलवा कोई रास्ता नहीं है।  
प्रार्थीगण को सड़क तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से चलने वाली  
कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। वरसात के मौसम में विप्रार्थी  
अपनी अन्य भूमि के साथ साथ रास्ते की भूमि पर भी काश्त कर लेता है, जिससे  
प्रार्थीगण को अवागमन अवरुद्ध हो जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत  
प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश  
पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित  
प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरुद्ध हस्तगत अपील पेश  
की जा रही है।

  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी की खातेदारी के उपरोक्त खेत के बदिशा दक्षिणी तरफ अपने इसी खेत में से आवागमन का मरडीया रास्ता मौजूद है जो आगे अन्य खेतों को जाता है प्रार्थी के खेत सबसे नजदीकतम रास्ता है तथा दूसरा अन्य रास्ता सरहद वावनगर के खेत खसरा संख्या 1728 में से चलकर आगे रेस्पोंडेंटस संख्या 02 के खेत खसरा संख्या 1726 तक रास्ता मौजूद है जो मौके पर चालू हालात में चल रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा मौका रिपोर्ट तहसीलदार से तलब कर दी गई जिस पर तहसीलदार स्वयं ने मौके पर जाकर हल्का पटवारी व आर आई को मौका रिपोर्ट हेतु आदेशित किया गया, जिस पर हल्का पटवारी व आर आई ने मौके पर जाये बिना ही अपने कार्यालय में बैठकर उत्तरदाता/प्रार्थी से निजी लाभ प्राप्त करते हुये उनके कहे अनुसार मौका रिपोर्ट तैयार कर बिना अपीलांट को कोई सूचना दिये अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई जबकि अपीलांट के उक्त मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर या अंगुष्ठ निशान नहीं है। रेस्पोंडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोंडेंटस द्वारा अपीलांट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरुद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।


रेस्पोंडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर अपीलांट की पर्याप्त तामील करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोंडेंटस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने-जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोंडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोंडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए

  
राजेश अपील प्रार्थीकारी  
बाइमर


पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की उपस्थिति में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। हाजा न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया लेकिन अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से प्रदत्त रास्ते के अलावा रेस्पोंडेंट्स की खातेदारी भूमि तक आने जाने हेतु किसी भी प्रकार के वैकल्पिक कटाणी रास्ते का विकल्प नहीं बताया गया। अंतर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक सगरी प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर रेस्पोंडेंट्स को गिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से महसूस नहीं रखा जा सकता। मौका फर्द दिनांक 08.11.2019 में स्पष्ट किया गया है कि "प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के खेत में राजकीय कटाण मार्ग तक पहुंचने अन्य कोई विकल्प नहीं है।" रेस्पोंडेंट्स/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितान्त विधि सम्मत एवं युवितसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांट की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोंडेंट/प्रार्थीगण को उसको गिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी शिवाना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 101/2019 व अनवान चौथीया वनाम कमला वगै. में पारित आदेश दिनांक 26.02.2021 को यथावत रखा जाता है।

  
(प्रजिष्ठा मिश्रा)  
राजस्थान अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 30.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
राजस्थान अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर